

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 173 B.N.S.S)प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

Year (वर्ष): 2025

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0030

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):  
24/09/2025 12:55 hrs2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))  
1 PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Sunday

Date from (दिनांक से):  
27/10/2024Date To (दिनांक तक):  
27/10/2024Time Period (समय अवधि): Pahar  
1Time From (समय से): 00:00  
hrsTime To (समय तक):  
00:00 hrs(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):  
Date (दिनांक): 24/09/2025Time (समय): 12:30  
hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014

Date and Time (दिनांक और समय):  
24/09/2025 12:38  
hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 05 Km Beat No. (बीट सं.):

(s)

(b) Address (पता): थाना पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सी०डी०सी० निरीक्षक उषा

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 20/06/1977 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)

ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address  
(पता):

S.No. (क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार) Address (पता)

1

Present Address

रा०सं० एवं अ०नि०ब्यूरो, उपकेन्द्र सोनीपत SONIPAT,  
HARYANA, INDIA

2

Permanent Address

रा०सं० एवं अ०नि०ब्यूरो, उपकेन्द्र सोनीपत SONIPAT,  
HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8708428407

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

| S. No.<br>(क्र.सं.) | Name (नाम)                             | Alias (उपनाम) | Relative's Name<br>(रिश्तेदार का नाम) | Present Address (वर्तमान पता)                                |
|---------------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                   | उप निरीक्षक नरेन्द्र<br>नं० 1766 रोहतक |               |                                       | 1. थाना पी० जी०आई०एम०एस०<br>रोहतक,<br>ROHTAK, HARYANA, INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No.<br>(क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type<br>(सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value (In Rs/-)<br>(मूल्य (रु में)) |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)  
(क्र.सं.)



12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में  
प्रबंधक थाना,  
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
रोहतक ।  
श्रीमान जी,

शिकायतकर्ता श्री प्रवीण मलिक पुत्र सुरेश मलिक वारी गदीना सोनीपत द्वारा की गई एक शिकायत विरुद्ध उप निरीक्षक नरेन्द्र नं० 1766 / रोहतक, कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा के पत्र क्रमांक 10452/RTI के दिनांक 05-06-2025 के अनुसार तरादीक हेतु प्राप्त हुई। जिसमें आरोप था कि आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र नं० 1766/रोहतक थाना पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक द्वारा अभियोग संख्या 08 दिनांक 11.01.2024 धारा 148,149,307,323,427,452,506 भा०द०स० पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक का अनुसंधान अमल में लाया जा रहा था और अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक नरेन्द्र नं० 1766/रोहतक द्वारा उक्त अभियोग का चालान शीघ्र न्यायालय में देने व रिकवरी न लगाने की ऐवज में 60,000/- रुपये की रिश्त मांगने वारे था। जिसकी तसदीक पहले निरीक्षक पवन, राज्य सतर्कता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक को तथा उसके उपरान्त दिनांक 30.07.2025 को मन निरीक्षक द्वारा अमल में लाई गई। तसदीक के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा एक आडियों रिकार्डिंग पैर डाईव प्रस्तुत व हिन्दी अनुलेखन पेश किया गया। जिसके अवलोकन से पाया गया कि आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र नं० 1766/रोहतक थाना पी० जी०आई०एम०एस० रोहतक द्वारा शिकायतकर्ता प्रवीण के विरुद्ध अभियोग संख्या 08 दिनांक 11.01.2024 धारा 148,149,307,323,427,452,506 भा०द०स० पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक का अनुसंधान अमल में लाया जा रहा था और अनुसंधान अधिकारी उप निरीक्षक नरेन्द्र नं० 1766/रोहतक द्वारा रिकार्डिंग के अनुलेखन से उक्त अभियोग का चालान शीघ्र न्यायालय में देने व रिकवरी न लगाने की ऐवज में 60,000/- रुपये रिश्त की मांग दिनांक 27.10.2024 को थाना पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक में आई०ओ० रुम में करनी पाई गई है। अभियोग का चालान जल्दी न्यायालय में देने व रिकवरी न लगाने की एवज में 60,000/-रुपये की रिश्त मांगकर धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अपराध किया है। उप निरीक्षक नरेन्द्र नं० 1766/रोहतक का यह कृत्य ex-facie क्रिमिनल की श्रेणी में आता है। इसीलिए उक्त आरोपी के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से धाराधीन 17-ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। शिकायत की तसदीक उपरान्त आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र नं० 1766/रोहतक के विरुद्ध 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग अंकित किये जाने की अनुसंधान पर कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के यदि क्रमांक नं० 18292/शिकायत /159/रोहतक / 2025 दिनांक 11/09/2025 के अनुसार आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र नं० 1766 / रोहतक के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने की अनुमति/आदेश प्राप्त हो चुके हैं। अतः आरोपी उप निरीक्षक नरेन्द्र नं० 1766/रोहतक थाना पी० जी०आई०एम०एस० रोहतक के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग अंकित किये जाने के लिए लेख भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके नियमानुसार स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अधिकारियों को बजरीयू, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाए। हस्ता अंग्रेजी Usha Insp

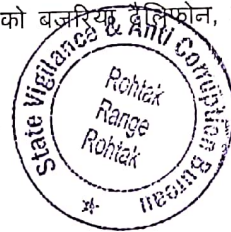
(निरीक्षक उषा)

राज्य सतर्कता एवं

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रोहतक ।

दिनांक 17.09.2025

अज थाना- हस्व आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 30 दिनांक 24.09.2025 धारा 7 पी.सी.एक्ट थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर अफसरान बाला व ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को बजरीया ई-मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी सी०डी०सी० निरीक्षक मनोज कुमार न० 1136/रेवाडी राज्य चौकसी एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक के हवाले की जाएगी उपरोक्त मुकदमा प्रवन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक संजीव कुमार न० 944/सोनीपत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्ट्र किया गया है।



13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Manoj Kumar Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 1136RWR to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.  
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Sanjeev Kumar

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 944/SPT

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

